**भारत सरकार**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या: 935**
**दिनांक 22 जुलाई, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**बुजुर्गों की स्वास्थ्य परिचर्या हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम**

**935. श्री जी सेल्वम:**
**श्री गजानन कीर्तिकर:**
**डॉ. गौतमसिगामणि पोन:**
**श्री धनुष एम.कुमार:**
**श्री कुलदीप राय शर्मा:**
**श्रीमती मंजुलता मंडल:**
**डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:**
**डॉ. डीएन.वी. सेंथिलकुमार एम:**
**श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:**
**श्री सी.एन.अन्नादुरई:**
**श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:**

**क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क): क्या सरकार ने बुजुर्गों की स्वास्थ्य परिचर्या के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीएचसीई) तैयार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख): क्या कार्यक्रम ने अपने उस वंछित उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है जिसके लिए इसे शुरू किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग): एनपीएचसीई को क्रियान्वित करते समय सरकार को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा;

(घ): क्या पूर्वोक्त कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के साथ जोड़े जाने की संभावना है ताकि उनके बीच कन्वर्जेंस सुनिश्चित किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.): क्या सरकार ने कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन और बुजुर्गों द्वारा निवारक, उपचारात्मक और पुनर्वास संबंधी स्वास्थ्य देखभाल तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत कितनी निधि आवंटित की गई है; और

(च): क्या सरकार द्वारा बुजुर्गों को प्रभावित करने वाले रोगों पर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)**

(क) से (च): स्वास्थ्य और परिवार कल्याणमंत्रालय ने वृद्धजनों की स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए 2010-11 में राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम शुरू किया है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य वृद्धजनों को सुगम, वहनीय और उच्च गुणवत्तायुक्त दीर्घकालिक व्यापक और समर्पित परिचर्या सेवाएं उपलबध कराना है। यह कार्यक्रम दो स्तरों पर केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है:

i. शैया ग्रस्त वृद्धजनों के लिए जरा क्लीनिकों, जांच और पुनर्वास सेवाओं, पुनर्वास कर्मियों द्वारा घरेलू दौरों के माध्यम से और ऐसे रोगियों की परिचर्या के लिए परिवार के सदस्यों के साथ परामर्श करके और स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा जिला अस्पतालों और उप जिला स्तर पर प्राथमिक परिचर्या सेवाएं। कुल 713 जिलों को शामिल किया गया है।

ii. ओपीडी और इनडोर सुविधाओं के माध्यम से विशिष्ट परिचर्या सेवाएं, जरा औषधि में विभिन्न् पाठ्यक्रमों और रीजनल जेरियाट्रिक सेंटरों तथा नेशनल सेंटर फॉर एजिंग के माध्यम से विशेषज्ञता प्राप्त मानव संसाधन का विकास । इस घटक के अंतर्गत दो नेशनल सेंटरऑफ एजिंग (एनसीए) और 18 क्षेत्रीय जरा केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

एनपीएचसीई को एनआरएचएम में पहले ही शामिल किया जा चुका है। एनपीएचसीई के अंतर्गत आबंटित निधि का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में संलग्न है। राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम को और अधिक सुदृढ़ करने और इसके दायरे का विस्तार करने के लिए तथा वृद्धजनों के लिए निवारक और स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम की रेंज स्थापित करने में मदद के लिए एनपीएचसीई के अंतर्गत भारत में वृद्धजनों के राष्ट्रीय तौर पर प्रतिनिधित्व

सर्वेक्षण एलएएसआई **"लांगीट्यूइनल एजिंग सर्वे ऑफ इंडिया)** किया गया । इस सर्वेक्षण में 60 वर्ष की आयु और उससे अधिक आयु के 31464 व्यक्तियों और उनके पति/पत्नी, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, सहित 45 वर्ष की आयु के वयस्कों के नमूना आकार के पैनल सहित भारत के सभी 30 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसके अलावा रीजनल जेरिएट्रिक्स सेंटर और नेशनल सेंटर फॉर एजिंग के जेरिएट्रिक्स विभाग में वृद्धजनों की विशिष्ट बीमारियों पर अनुसंधान करने का प्रावधान है।

अनुलग्नक- I

**वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2021-22 तक एनएचएम के तहत गैर-संचारी रोगों के लिए फ्लेक्सिबल पूल के तहत नेशनल प्रोग्राम फॉर द हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली (एनपीएचसीई) के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार अनुमोदन।**

(लाख रूपए में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | वित्त वर्ष 2019-20 | वित्त वर्ष 2020-21 | वित्त वर्ष 2021-22 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 37.72 | 1.50 | 30.40 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 78.20 | 789.90 | 455.06 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 150.00 | 165.40 | 40.00 |
| 4 | असम | 406.59 | 310.30 | 65.46 |
| 5 | बिहार | 383.49 | 165.77 | 5.67 |
| 6 | चंडीगढ़ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 365.65 | 95.36 | 512.11 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| 9 | दमन और दीव | 0.40 | | |
| 10 | दिल्ली | 14.80 | 9.80 | 24.90 |
| 11 | गोवा | 29.80 | 13.34 | 27.30 |
| 12 | गुजरात | 20.10 | 20.20 | 78.05 |
| 13 | हरियाणा | 61.82 | 70.29 | 91.11 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 27.09 | 1.50 | 15.94 |
| 15 | जम्मू और कश्मीर | 164.95 | 144.50 | 166.50 |
| 16 | झारखंड | 181.11 | 13.23 | 268.83 |
| 17 | कर्नाटक | 340.08 | 1310.80 | 129.60 |
| 18 | केरल | 421.00 | 128.50 | 363.50 |
| 19 | लद्दाख | | 0.00 | 53.70 |
| 20 | लक्षद्वीप | 1.00 | 12.35 | 11.40 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | मध्य प्रदेश | 67.44 | 139.00 | 1518.63 |
| 22 | महाराष्ट्र | 213.00 | 151.60 | 131.49 |
| 23 | मणिपुर | 299.10 | 114.30 | 135.97 |
| 24 | मेघालय | 14.50 | 86.97 | 200.98 |
| 25 | मिजोरम | 21.85 | 19.86 | 27.24 |
| 26 | नागालैंड | 2.26 | 7.99 | 20.40 |
| 27 | ओडिशा | 231.16 | 173.10 | 137.55 |
| 28 | पुद्दुचेरी | 30.85 | 31.30 | 32.40 |
| 29 | पंजाब | 11.00 | 17.60 | 40.40 |
| 30 | राजस्थान | 30.00 | 30.00 | 310.10 |
| 31 | सिक्किम | 4.72 | 17.80 | 19.15 |
| 32 | तमिलनाडु | 246.50 | 54.25 | 212.86 |
| 33 | तेलंगाना | 60.00 | 142.00 | 75.00 |
| 34 | त्रिपुरा | 11.22 | 0.00 | 93.17 |
| 35 | उत्तर प्रदेश | 1166.80 | 731.25 | 1154.73 |
| 36 | उत्तराखंड | 5.25 | 44.94 | 65.01 |
| 37 | पश्चिम बंगाल | 59.00 | 103.43 | 60.70 |

टिप्पणी:

1.उपरोक्त आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट की गई उपलब्ध वित्तीय प्रबंधन रिपोर्ट (एफएमआर) के अनुसार हैं। इसे 31.03.2022 तक अद्यतन किया गया है और यह अनंतिम है।

******